पत्रांक संख्या– वि(27)पे0को0– **NPS**- 83/2010– 968 वि०

**बिहार सरकार**

**वित्त विभाग।**

प्रेषक,

**मिहिर कुमार सिंह**
सचिव वित्त (व्यय)

सेवा में,

**सभी कोषागार पदाधिकारी**
**सभी उप कोषागार पदाधिकारी।**

पटना, दिनांक : 14.06.2010

विषयः– **नई पेंशन प्रणाली अंतर्गत राज्य अंशदान सहित कर्मियों के वेतन से की गई कटौती की राशि को मुख्य शीर्ष 8011 से निकासी कर NPS Turst Account में हस्तांतरण हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि 01.09.2005 के बाद नियुक्त सरकारी राज्य कर्मी एवं दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आच्छादित होते है। नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वेतन तथा जीवन यापन भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान सरकारी कर्मी द्वारा दिया जाना होता है और उसके समतुल्य अंशदान राज्य सरकार को देना है। कर्मियों की अंशदान की राशि स्थापना विपत्र से संबंधित शीर्ष से की जाती है और राज्य अंशदान की राशि मुख्य शीर्ष 2071 से की जाती है। इन दोनों अंशदानों के लिए दो विपत्र एक साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय से संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किए जाते है। नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत अंशदान की राशि को मुख्य शीर्ष 8011 बीमा तथा पेंशन निधि, लघु शीर्ष 106 अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां एवं उपशीर्ष –0002 के अधीन जमा किया जाता है। अंशदान में जमा की गई राशि को एन0पी0एस0 ट्रस्ट एकाउंट में जमा किया जाना है। एन0पी0एस0 ट्रस्ट एकाउंट में राशि जमा करने हेतु मुख्य शीर्ष 8011 बीमा तथा पेंशन निधि लघु शीर्ष 106 अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां एवं उपशीर्ष 0002 से राशि की निकासी करनी होगी। यह निर्णय लिया गया है कि इस निमित्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी होंगे। तद्नुसार उन्हें निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

अतः कोषागार पदाधिकारियों/उपकोषागार पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मियों के अंशदान एवं राज्य सरकार के अंशदान की जमा की गई कुल राशि के लिए अलग–अलग विपत्र तैयार कर (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार) एन0पी0एस0 ट्रस्ट एकाउंट में प्रत्येक माह के 20 तारीख तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

**(मिहिर कुमार सिंह)**
सचिव (व्यय)।

205/GOKUL

ज्ञापांक संख्या 968 वि०  पटना, दिनांक 14.6.10

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना / महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया / बैंक ऑफ इंडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक संख्या 968 वि०  पटना, दिनांक 14.06.10

प्रतिलिपिः— सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / आरक्षी महानिदेशक / आरक्षी अपर महानिदेशक / क्षेत्रीय आरक्षी महानिदेशक / आरक्षी उप महानिदेशक / आयुक्त / जिला पदाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव (व्यय)।

206/GOKUL